



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय- साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)
फोन नं. 07759-221208 फैक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड- 495677
Website : www.korbamunicipal.in Email : Corporationkorba@gmail.com



प्रारूप-पांच

(देखिये नियम-12)

कालोनी (फ्लेट्स) विकास अनुमति

फा.क./भवन निर्माण/2018-19/3202

कोरबा,दिनांक 08/03/2019

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (कालोनी) का रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन तथा शर्तों) नियम 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये कालोनी/अड्डा मेसर्स सृजन बिल्डर्स, भागीदार-श्री अशोक अग्रवाल पिता स्व. श्री रसिक बिहारी अग्रवाल, सर्वमंगला भवन निहारिका कोरबा को प.ह.नं. 13 रा.नि.मं. कोरबा तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.) वार्ड क. 33 रामपुर में स्थित भूमि खसरा नया क्रमांक 807.803/4.804/4, पुराना 59/2.58/2.59/1.60/1 एवं 88/1 कुल रकबा 1.73 एकड़ में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के विकास अनुज्ञा क्र. 774/779 दिनांक 25.06.2014 अनुसार आवासीय फ्लेट्स (125 नग)के विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. शहरी भू सीमा अधिनियम 1976 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
2. छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा क्रमांक 1774/779 दिनांक 25.06.2014 के शर्तों का पालन करना होगा।
3. छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत भू-व्यपर्वतन की शर्तों का पालन करना होगा।
4. कमजोर वर्ग के भू-खण्डों/ भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।
5. नजूल अधिकारी,कोरबा द्वारा दी गई अनापत्ति में निहित शर्तों का पालन करना होगा।
6. विकास कार्य पूर्ण करने के पश्चात् भू-खण्डों का व्ययन सक्षम अधिकारी से विक्रय अनुमति लेने के पश्चात् करेंगे।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं वाटर रिचार्ज इत्यादि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. अग्नि शमन संयंत्र हेतु प्रावधान रखना होगा।
9. सौर ऊर्जा से संचालित गर्म जल संयंत्र एवं सोलर लाईट लगाना अनिवार्य होगा।
10. आंतरिक विकास कार्य करने हेतु विकास अनुज्ञा में स्वीकृत कुल 125 फ्लेट्स में से बंधक रखे गये 10 प्रतिशत (13) फ्लेट्स क्र. (ब्लाक 1 में 401 से 406 एवं ब्लाक 3 में 401 से 407) का विक्रय पूर्णतः अवैधानिक होगा इनका विक्रय आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने एवं बंधक रखे गये



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय- साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

फोन नं. 07759-221288 फैक्स नं. 07759-221929 पो बाक्स नं.-12 पिन कोड-495677

Website : www.korbamunicipal.in

Email : Corporationkorba@gmail.com

(2)

11. बाह्य एवं आंतरिक विकास कार्य स्वयं करना होगा । बाह्य एवं अंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार शुल्क (बाह्य विकास) का भुगतान नगर पालिक निगम कोरबा को करना होगा ।
12. कमजोर आय वर्ग के लिये विक्रय हेतु ब्लाक 2 में फ्लेट्स क्र. 501 से 513 कुल 13 फ्लेट्स आरक्षित रखना होगा ।
13. भूमि स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में प्रदत्त विकास अनुज्ञा स्वयमेव प्रतिसंहत मानी जायेगी ।
14. उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं करने पर यह अनुमति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी जिराकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

नगर पा.

क्र.

दि.

छत्तीसगढ़


पृष्ठा.क्र./भवन निर्माण/2018-19/

प्रतिलिपि :-

उप पंजीयक,कोरबा/कटघोरा को कुल 125 फ्लेट्स में से बंधक रखे गये 10 प्रतिशत फ्लेट्स क्र. (ब्लाक 1 में 401 से 406 एवं ब्लाक 3 में 401 से 407) फ्लेट्स का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने एवं बंधक मुक्त होने के पश्चात ही पंजीयन करने के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित ।


नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा,दिनांक


भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)